न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 231/2023

वाद पत्र अं0 धारा 88, 53 आर.टी.ए.

स्वर्ण सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. मनीराम पुत्र श्री श्योनारायण
2. भागीरथ पुत्र श्री श्योनारायण
3. विजय सिंह पुत्र स्व. श्री देवी सिंह
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम
5. प्रेम कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम
6. कुलदीप कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द
7. रणवीर कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द
8. सरवती पत्नी स्व. श्री दुलीचन्द
9. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री दुलीचन्द

} समस्त जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. श्री महावीर बैरड –वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड–वकील प्रति.सं. 1ता9

निर्णय

दिनांक :– 04-04-2024

वादी जसप्रीत सिंह ने प्रतिवादी सं. 1 ता 61 के विरूद्ध यह राजस्व वाद घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक 12.01.2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 77/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 4.290 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसील संगरिया ऑनलाईन होने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में पैमुद हुई। उक्त खाता में वादी का हिस्सा 4.290 है. के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि के कारण 1430/4301 हिस्सा दर्ज हो गया। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वादी की कब्जाकाश्त में उक्त खाता की समस्त 4.301 है. कृषि भूमि है जो कि चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 77/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में दर्ज थी। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 77/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 4.290 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। लेकिन वादी की अन्य प्रतिवादीग[illegible] ही तहसील संगरिया के चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/[illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 4.307 है. कृषि भूमि पर कब्जाका[illegible] है। बटवार[illegible] रोज से ही वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना [illegible] के काश्त करता चला आ रहा है। कब्जाकाश्त बाबत् किसी [illegible] सहखातेदार व सहकाश्तकारान के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:49 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदार व सहकाश्तकारान के साथ हुए बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) **वादी स्वर्ण सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 81 / 22 जमाबन्दी सम्वत 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
201 / 151	34	11,12,13,16ता24 / 0.253 है.प्र., 25 / 0.228 है.
201 / 152	35	4 / 0.253 है., 5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है.,
200 / 152	36	5 / 1 / 0.228 है., 5 / 2 / 0.025 है.,
		6 / 1 / 0.228 है., 6 / 2 / 0.025 है.

नहरी 4.176 है., गै.मु. रास्ता 0.078 है., गै.मु. खाला 0.053 है., कुल 4.307 है. मय गै. मु. कृषि भूमि।

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि बंटवारा के रोज से ही वादी की कब्जाकाश्त में रही है। बंटवारानुसार ही वादी वाद पत्र की चरण सं. 2 के अनुसार अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी विभाजन में प्राप्त वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार प्राप्त कृषि भूमि की घोषणा करवा खाता अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी बंटवारा के रोज से ही वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि की कब्जाकाश्त बाबत् किसी भी सहखातेदार व सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, माली रकम आदिराज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीव बट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अनदेशा रहता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 9 से वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार मानते हुए वादी का खाता अलग कायम करवाने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे लेकिन गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 की तलबी पूर्व में हो चुकी है इनको न्यायालय में बार-बार आवाजे लगाई गई इसके बावजूद हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 10 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक नं. 8 बी.जी.पी. खाता सं. 81 / 22 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र पेश तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 549 दिनांक 23.02.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 को न्यायालय में हाजिर नही आये है इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अन्य कोई विवाद नही है। इसलिए वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक नं. 8 बी.जी.पी. खाता सं. 81/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकित है एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की खातेदारी भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है एवं उक्त खाता अपवादित भी है। वादी ने अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाश्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी सं. 1ता 9 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नही आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नही आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादी का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–चक नं. 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/22 कुल रकबा 4.301 है. में मौका पर कब्जा काश्त की भूमि :–स्वर्णसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख सा. ढाबां प.नं. 201/151 मु.नं. 34 कि.नं. 11,12,13/0.759 है.प्र., 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17,18,19,20/1.012 है., 21,22,2324/1.012 है., 25/1/0.228, 25/2/0.025, प. नं. 201/152 मु.नं. 35 कि.नं. 4/0.253, 5/1/0.228, 5/2/0.025, प.नं. 200/152 मु.नं. 36 कि.नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, कुल रकबा 4.301 है. कृषि भमि।

उक्तानुसार वादी का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे अन्य प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त के अभाव में नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थग्न आदेश आदि नही है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...100/-...खर्चा ... को ... शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख ... तक ... को ... करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से ... न्याय ... में सुनाया आज दिनांक 05/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्याय... में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तिम डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 231/2023

स्वर्ण सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

नीराम पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गीरथ पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
जय सिंह पुत्र स्व. श्री देवी सिंह जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
ेम कुमार पुत्र स्व. श्री जोतराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
कुलदीप कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
रणवीर कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सरस्वती पत्नी स्व. श्री दुलीचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री दुलीचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :- 04-04-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2023/70 दिनांक 27.09.2023 व प्रा. डिक्री/भू.अ./024/549 दिनांक 23.02.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वाद पत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाश्तकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

चक 8 बी.जी.पी. के खाता सं. 81/22 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 कुल रकबा 4.301 है. में मौका पर कब्जाकाश्त की भूमि :-

वादी स्वर्ण सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
201/151	34	11,12,13/0.253 है.प्र., 16/0.253 है.प्र., 17ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
201/152	35	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
200/152	36	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.

नहरी 4.176 है., गै.मु. खाला 0.050 है., गै.मु. रास्ता 0.075 है., कुल 4.301 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:30:49 IST
Reason: SelfAttested

...टर एवं ...कारी

...अनुसार खाता विभाजन कर एकमराज अलग से कायम की जाकर ...अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम ...काश्त के अभाव में नियमानुसार कलमजन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्राप्त ...प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद ...िक डिक्री किया जावे।

...–/...... बिल ......–/...... मुक्लिक ......–/...........बिल ......–/...... बाबत ......–/.........
...100/–...... खर्चा मुकदमें के मयसुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख ...सूलयाबी तक ......–/.........को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 04.4.24 को ...री किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakes...
Meena
Date: 2024.04.26 11:30:4...
Reason: SelfAttested